



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234566
CG-DL-E-28032022-234566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944

No. 1352]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

का.आ. 1394(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर की स्थापना में बर्थ संख्या 11 और 12 पर अग्निशमन प्रणाली के संचालन और रखरखाव के कार्यों या नौकरियों में ठेका श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषेध करती है।

[फा. सं. यू-23013/01/2018 -एल.डब्ल्यू.]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2022

S.O. 1394(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby prohibits the employment of contract labour in the works or jobs of operation and maintenance of fire fighting system at Berth numbers 11 and 12 in the establishment of New Mangalore Port Trust, Mangalore.

[F. No. U- 23013/01/2018-LW]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.